



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र० Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांकसं०:इ०रा०वि०वि/उ.कु.स.का./६१९/२०१८

दिनांक २२/०४/२०१८

कार्यालय आदेश

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वरिष्ठ शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण उत्तर पुस्तिकाओं का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन समय से नहीं हो पाता है।

अतः शासन की मंशा के अनुरूप १५ जून, २०१८ तक सभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने के क्रम में माननीय कुलपति महोदय ने सम्यक विचारोपरान्त निदेशित किया है कि जिन शिक्षकों द्वारा उ०पु० के मूल्यांकन कार्य में सहयोग प्रदान न किया गया हो, उन्हें प्रायोगिकी/मौखिकी में परीक्षक के रूप में योजित न किया जाय।

डा० (साहेबलाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय।
2. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित, कि उक्त कार्यालय आदेश को सम्बन्धित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त अधिकारीगण।
4. निजी सचिव कुलपतिजी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

(राजबहादुर)
उपकुलसचिव (परीक्षा)